न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी— श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
4/2022	10.6.2022	03/2/25

1. कल्ली पुत्री जोहरया पत्नी काडू जाति माली निवासी मालियों की चौकी अमरगढ चौकी, गंगापुर सिटी
2. सरूपी पुत्री जोहरया पत्नी रामस्वरूप, माली निवासी नंदीवाला, बामनबडौदा

——अपीलार्थीगण

बनाम

1. बत्तीलाल पुत्र जोहरया, माली निवासी नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
2. श्रीमती रामपती पत्नी रामप्रसाद उर्फ सेडूराम, माली निवासी नौगांव
3. सरपंच, ग्राम पंचायत नौगांव तहसील व पंचायत समिति गंगापुर सिटी
4. लैण्ड होल्डर राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी

——रेस्पोन्डेन्ट्स

5. केशन्ती पुत्री गेल्या जाति माली निवासी नौगांव
6. गिर्राज पुत्र गेल्या जाति माली निवासी नौगांव
7. बना पुत्र गेल्या जाति माली निवासी नौगांव
8. रूमाली पुत्री गेल्या जाति माली निवासी नौगांव
9. सुन्दरलाल पुत्र गेल्या जाति माली निवासी नौगांव
10. रामप्रसाद पुत्र गेंदया जाति माली निवासी नौगांव
11. यूनियन बैंक आफ इंडिया जरिए मैनेजर शाखा गंगापुर सिटी
12. पंजाब नेशनल बैंक जरिए मैनेजर शाखा गंगापुर सिटी

——तरतीबी रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश सरपंच ग्राम पंचायत नौगांव दिनांक 23.6.2005 बाबत् नामान्तरकरण संख्या 693 ग्राम नौगांव

उपस्थित :—श्री महेश चन्द अग्रवाल, एडवोकेट, अपीलार्थी की ओर से
श्री संतोष वर्मा, एडवोकेट, रेस्पोन्डेन्ट नं0 1 की ओर से
श्री रविशंकर शर्मा, एडवोकेट, रेस्पोन्डेन्ट नं0 2 की ओर से

निर्णय

अपीलार्थी ने अपील इस आशय की प्रस्तुत की है कि ग्राम नौगांव में भूमि साबिक ख0नं0 102 रकबा 6 बीघा 17 विस्वा, ख0नं0 150 रकबा 7 बीघा 19 विस्वा कुल रकबा 14 बीघा 15 विस्वा जमाबंदी सं0 2016 से 2019 में गेल्या, देवू, जोहरया, प्रसाद पुत्र गेंदया 1/2, मगलू पुत्र मूल्या जाति माली साकिन देह खुदकाश्त दर्ज है। जमाबंदी सं0 2010 से 2012 में भूमि ख0नं0 155 रकबा 4 बीघा 15 विस्वा, ख0नं0 181 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा, ख0नं0 182 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा, ख0नं0 183 रकबा 3 विस्वा, ख0नं0 184 रकबा 2 बीघा, ख0नं0 188 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा कुल रकबा 11 बीघा 10 विस्वा का इन्द्राज खातेदारी गेंदया पुत्र सूसरया, मटलू पुत्र मूल्या कौम माली बहिस्सा बराबर दर्ज है। उक्त भूमि के हाल सेटलमेंट में नवीन ख0नं0 184 रकबा 0.19

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 10:59:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

कल्ली वगैरा बनाम बत्तीलाल वगैरा, अपील नामान्तरकरण

है0, ख0नं0 185 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 186 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 187 रकबा 0.32 है0, ख0नं0 188 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 189 रकबा 0.30 है0, ख0नं0 190 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 171 रकबा 0.20 है0 कायम किए गए हैं जो साबिक ख0नं0 120 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा भूमि रही है एवं साबिक ख0नं0 150 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा के हाल ख0नं0 436 रकबा 0.12 है0, ख0नं0 437 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 439 रकबा 0.24 है0, ख0नं0 440 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 441 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 443 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 444 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 445 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 446 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 447 रकबा 0.15 है0 कायम किए गए हैं। अपीलांट व रेस्पोन्डेंट के वंश वृक्षावली के अनुसार सूसरया के पुत्र गेंदया उर्फ गोरधन हुआ। गेंदया उर्फ गोरधन के पुत्र गेल्या, देवू, जोहरया व रामपरसाद(सेडू) हुए। इनमें देवू लाऔलाद फौत हो गया है। गेल्या के पुत्र गिर्राज, बना, सुन्दरलाल तथा पुत्री केशन्ती व रूमाली हैं। जोहरया के पुत्र बत्तीलाल व पुत्री कल्ली, सरूपी हैं। इस प्रकार भूमि मुतदाविया पैत्रक भूमि रही है। उक्त भूमि अपीलार्थीगण के बाबा गेंदया पुत्र सूसरया की रही है व इनके इंतकाल के बाद भूमि अपीलार्थीगण के पिता जौहरया के खाते में रही है। जौहरया के इंतकाल के बाद उक्त भूमि का इन्द्राज खातेदारी तन्हा विरासत का खिलाफ कानून व कायदा पोशीदा तौर पर अपीलार्थीगण की जानकारी के बिना, अपीलार्थीगण को नोटिस दिए बिना व आम पंचायत में जानकारी दिए बिना मनमाने तौर से इकतरफा में रेस्पोन्डेन्ट नं0 1 ने तत्कालीन सरपंच से साज करके नामा0 सं0 693 दिनांक 23.6.2005 खिलाफ कानून अपने नाम तस्दीक करा लिया। जोहरया के मरने के बाद उक्त भूमि पर अपीलार्थीगण का कानूनन विरासत के रूप में बाई बर्थ ही अपने हक हकूक कायम है और हिन्दू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक अपीलार्थीगण अपने हक हकूक प्राप्त करने की अधिकारी है। रेस्पोन्डेन्ट नम्बर 1 जो कि अपीलार्थीगण का खास भाई है, ने रेस्पोन्डेन्ट नं0 2 से मिलकर उक्त भूमि को खिलाफ कानून व कायदा वहिस्सा अपीलार्थीगण सहित कानूनन दिनांक 16.6.2010 को बेच दी जबकि उक्त भूमि में अपीलार्थीगण का हित नीहित है। अपीलार्थीगण की जानकारी के बिना रेस्पोन्डेंट नं0 1 को भूमि मुतदाविया को बेचने का कानूनन कोई अधिकार नहीं था ना रहा है। रेस्पोन्डेन्ट नं0 5 लगायत 12 को तरतीबी पक्षकार मुकदमा बनाया गया है क्योंकि लैण्ड रिकार्ड रेवन्यू में उनके नाम का लेखा होने के कारण पक्षकार मुकदमा बनाया गया है जबकि अपीलार्थीगण की उनके विरूद्ध किसी प्रकार की कोई रिलीफ नहीं है इसलिए [illegible] को तामील से भी एक्जेम्प्ट फरमाया जावे कि तलवी में समय [illegible] पैत्रक है एवं जन्म से ही इसमें अपीलार्थीगण को इसमें हक व अधिकार हासिल है। नामान्तरकरण सं0 693 दिनांक 23.6.2005 खिलाफ कानून व कायदा रूएदाद मिसल होने के कारण लायक मंसूखी है। मुताबिक सजरा भी भूमि अपीलार्थीगण के बाबा, पिता की रही है जो रेवेन्यू रिकार्ड से साबित है जिसको तन्हा रेस्पोन्डेन्ट नं0 1 को बेचने का कोई अधिकार कानूनन नहीं है ना रहा है। कार्यवाही पोशीदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 10:59:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

तौर पर होने के कारण बयनामा दिनांक 16.6.2010 बहक अपीलान्ट वोइड व इनइफेक्टिव है। हक हकूक अपीलार्थीगण पर बेअसर है। अपीलार्थीगण को उक्त कार्यवाही की जानकारी पटवारी हलका से दिनांक 25.4.2022 को हुई जब अपीलार्थीगण के0सी0सी0 बनवाने के लिए नकल जमाबंदी लेने गई तो पता चला कि भूमि अपीलार्थीगण के नाम नहीं है अपितु रेस्पोन्डेन्ट नं0 1 ने व साज रेस्पोन्डेन्ट नं0 2 को बय कर दी है एवं भूमि का इन्द्राज गलत रूप से रेस्पोन्डेन्ट नं0 2 के नाम हो गया है। जानकारी के दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि नामान्तरकरण संख्या 693 दिनांक 23.6.2005 ग्राम नौगांव मंसूख फरमाया जाकर आराजी हाल ख0नं0 436 रकबा 0.12 है0, ख0नं0 437 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 439 रकबा 0.24 है0, ख0नं0 440 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 441 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 443 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 444 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 445 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 446 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 447 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 186 रकबा 0.01 है0 ग्राम नौगांव में मृतक जोहरया के वारिसान होने के कारण व अपीलार्थीगण, रेस्पोन्डेन्ट नं0 1 की खास बहस होने के कारण विरासत का नामान्तरकरण अपीलार्थीगण के पक्ष में तस्दीक फरमाया जावे। वर्तमान इन्द्राजात निरस्त फरमाए जावें।

अपील के साथ अपीलार्थीगण ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, नकल नामान्तरकरण संख्या 693 दिनांक 23.6.2005, प्रार्थना पत्र स्थगन प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 27 जा0दी0 के साथ नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 ग्राम नौगांव खाता संख्या 131, 132, नकल जमाबंदी सं0 2061 से 2064, नकल जमाबंदी सं0 2016 से 2019, नकल जमाबंदी सं0 2012, नकल मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण व भूमि सेटलमेंट, फोटोकोपी नकल विक्रयपत्र दिनांक 16.6.2010 भी प्रस्तुत किए हैं।

अपील दर्ज की जाकर प्रत्यार्थीगण को तलब किया गया एवं मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। प्रत्यार्थी संख्या 3, 4 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। तहसीलदार तलावडा के यहां से ग्राम नौगांव के नामान्तरकरण संख्या 670 से 717 की मूल नामान्तरकरण जिल्द प्राप्त हुई जो पत्रावली के साथ संलग्न है।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से उनके अभिभाषगण उपस्थित हुए।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान वकील ने अपनी अपील के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि विवादित भूमि अपीलार्थीगण व रेस्पोन्डेन्ट नं0 1 के पूर्वजों की खातेदारी की भूमि रही है जिसमें अपीलार्थीगण का जन्म से ही अधिकार रहा है परन्तु अपीलार्थीगण व रेस्पोन्डेन्ट नं0 1 के पिता जोहरया की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरकरण रेस्पोन्डेन्ट नं0 1 ने तत्कालीन सरपंच से साज कर अकेले अपने नाम ही खुलवा लिया जबकि विरासत में रेस्पोन्डेन्ट नं0 1 के साथ साथ अपीलार्थीगण का भी हिस्सा रहा है। इसके पश्चात् रेस्पोन्डेन्ट नं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 10:59:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

1 ने उसके नाम दर्ज हुई भूमि का विक्रय रेस्पोन्डेन्ट नं0 2 के पक्ष में दिनांक 16.6.2010 को कर दिया । रेस्पोन्डेन्ट नं0 1 द्वारा रेस्पोन्डेन्ट नं0 2 के पक्ष में किया गया विक्रय अपीलार्थीगण पर वोइड व इनइफेक्टिव है। इसलिए अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर विरासत नामान्तरकरण संख्या 693 दिनांक 23.6.2005 को निरस्त फरमाया जावे एवं वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण अपीलार्थीगण व रेस्पोन्डेन्ट नं0 1 के पक्ष में खोलने हेतु लैण्ड होल्डर तहसीलदार को आदेश फरमाया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट सं0 1 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि अपीलाधीन नामान्तरकरण उसके पक्ष में भलीभांति विधि अनुसार खोला गया है। इसलिए अपील नामान्तरकरण खारिज फरमाई जावे।

रेस्पोन्डेन्ट सं0 2 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि रेस्पोन्डेन्ट नं0 1 के पक्ष में विरासत का नामान्तरकरण विधि अनुकूल खोला गया था एवं विवादित भूमि रेस्पोन्डेन्ट नं0 1 के नाम खातेदारी में विधिवत दर्ज होने के कारण रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने नियमानुसार भूमि का विक्रय जरिए रजिस्टर्ड बयनामा रेस्पोन्डेन्ट नं0 2 के पक्ष में किया है एवं भूमि खरीद के समय से ही रेस्पोन्डेन्ट नं0 2 विवादित भूमि पर काबिज है। इसलिए अपीलार्थीगण की अपील खारिज फरमाई जावे। रेस्पोन्डेन्ट नं0 2 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कहा कि अपीलार्थीगण ने बदनीयतिपूर्वक यह अपील मात्र रेस्पोन्डेन्ट नं0 2 के विरूद्ध ही प्रस्तुत की है जबकि रेस्पोन्डेन्ट नं0 1 के पक्ष में विरासत नामान्तरकरण से जो भूमि खातेदारी में आई थी उसमें से भूमि ख0नं0 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191 रेस्पोन्डेन्ट नं0 1 ने अन्य लोगों को बेचान की है एवं इन नम्बरों के बाबत् अपीलार्थीगण ने अपनी अपील में कोई हवाला नहीं दिया है एवं इन नम्बरों के क्रेतागण को अपील में पक्षकार भी नहीं बनाया है। इसलिए अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील तथ्यों को छिपाकर किए जाने के कारण खारिज होने योग्य है।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थीगण ने नामान्तरकरण संख्या 693 दिनांक 23.6.2005 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है। इस नामान्तरकरण में खातेदार जोहर्या की मृत्यु हो जाने पर उसकी विरासत उसके पुत्र बत्तीलाल पुत्र जोहरया के नाम दर्ज की गई है एवं इसमें 18 किता खसरा नम्बरो में हिस्सा 1/8 बत्तीलाल के नाम दर्ज किया गया है। अपीलार्थीगण ने जो अपील प्रस्तुत की है उसमें 11 खसरा नम्बरों का ही विवरण दिया गया है [illegible] के क्रेता रेस्पोन्डेन्ट नं0 2 को ही पक्षकार बनाया गया है जबकि [illegible] के नामान्तरकरण में 18 नम्बरों की विरासत बत्तीलाल के [illegible] शेष रहे 7 खसरा नम्बर वर्तमान में किसके नाम दर्ज है [illegible] भी अपील में नहीं किया गया है एव ना ही इन नम्बरों के खातेदारों को [illegible]पील में रेस्पोन्डेन्ट के रूप में पक्षकार बनाया गया है। अपीलार्थीगण ने अपील में विरासत नामान्तरकरण संख्या 693 दिनांक 23.6.2005 ग्राम नौगांव को निरस्त करने का निवेदन किया है परन्तु इस नामान्तरकरण से में दर्ज सभी खसरा नम्बरों का उल्लेख अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 10:59:37 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

अपील में नहीं किया है मात्र 11 खसरा नम्बरों का ही उल्लेख किया है जो अपने आप में यह दर्शाता है कि अपीलार्थीगण सम्पूर्ण तथ्यों को लेकर क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नहीं आए हैं। फलस्वरूप प्रस्तुत अपील अपूर्ण तथ्यों के अभाव में स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील में अपूर्ण तथ्य अंकित किए जाने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तलावडा को मय मूल नामान्तरकरण जिल्द के सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3/7/25 खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज०)

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 10:59:37 IST
Reason: SelfAttested